

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प.19(05)न्याय / 2024

जयपुर दिनांक: 02/01/25

::आदेश::


माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुशांसा पर राज्य सरकार द्वारा जिला जज केडर के अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत वैष्णव तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा जिला राजसंमद (वर्तमान में निलम्बित) को राजस्थान सेवा नियम (सीसीए), 1958 के नियम 19 सपठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन पश्चात राजस्थान न्यायिक सेवा से तत्काल प्रभाव से हटाया (Remove) जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से


02.1.25
(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- ✓ श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 6298 दिनांक 19.12.2024 के क्रम में।
2. संबंधित अधिकारी मार्फत रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. संबंधित अधिकारी की निजी पत्रावली।
4. रक्षित पत्रावली।


02.01.25
(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव, विधि

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No.RJS-Estt.B2(xi)/e/RG-Compliance/11/2024/12

Date :- 03.01.2025

Copy of Government order No. F.19(05)Nyay/2024 dated 02.01.2025 forwarded to the Computer Cell, RHC, Jodhpur with the direction to upload on the official website of the Rajasthan High Court.


3/1/25
REGISTRAR (ADMN.)